निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 638) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

14 मई 2015

सं0 22/नि0सि0(मोति0)–08–08/2013/1111—श्री दिनेश गिरी (आई0 डी0–2551), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल संख्या–1, बेतिया के पद पर पदस्थापित थे तब इनके विरूद्ध तिरहुत मुख्य नहर के वि0 दू0 532 एवं वि0 दू0 426 पर टूटान होने, कार्य में अभिरूचि नहीं लेने एवं लापरवाही, उदासीनता बरतने आदि प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकार सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) में विहित रीति से विभागीय संकल्प संख्या 1094 दिनांक 12.09.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 34 दिनांक 01.04.14 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के सतर पर की गई। समीक्षा में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए पाया गया कि कनीय अभियंता के स्तर से समय पर सही ढंग से नहर का निरीक्षण किया गया होता तो नहर का टूटान नहीं होता। आरोपी द्वारा टूटान स्थल पर 07 फीट गहरा बड़ा तालाब को टूटान का कारण बताया गया है, जबकि उक्त स्थल पर नहर बाँध की चौड़ाई 40 फीट है और नहर के रूपांकित जलश्राव 68.7 घनसेक के विरूद्ध टूटान के समय नहर में मात्र 3200 घनसेक जल प्रवाहित हो रहा था। इससे स्पष्ट है कि नहर टूटान स्थल पर पानी का रिसाव/पाईपिंग बहुत पहले से हो रहा होगा जिसे नहीं देखा गया और नहर टूट गई। आरोपी पदाधिकारी का अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण एवं नहर संचालन जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य में अधीनस्थों का कार्य पर उपस्थिति सुनिश्चित कराना कार्यपालक अभियंता का दायित्व है, किन्तु श्री गिरी द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक नहीं करने का आरोप प्रमाणित होता है।

तिरहुत मुख्य नहर के वि0 दू0 532.00 पर दिनांक 26.06.13 को हुए टूटान के संबंध में श्री गिरी द्वारा अपने बचाव बयान में उद्धृत किया गया कि दिनांक 21.06.13 को रात्रि 9.30 बजे श्री उमा शंकर यादव, कनीय अभियंता से वि0 दू0 537 पर सी0/आर0 गेट, मुजफ्फरपुर के कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के द्वारा भेजे गये व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती बंद करा दिये जाने की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता तत्काल गेट खोलवाने हेतु निदेश दिया गया एवं आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन की मदद लेने हेतु निदेशित किया गया तथा दिनांक 22.06.13 को सुबह पुलिस बल की मदद से गेट खुलवाया गया, किन्तु तब तक 537 आर0 डी0 पर पानी 9'.0'' हेड हो जाने के कारण वि0 दू0 532 पानी ओभर टॉप होकर करीब 25' में नहर टूट गई।

श्री गिरी के उपरोक्त बचाव बयान को संचालन पदाधिकारी द्वारा अमान्य किये जाने के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री गिरी, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध अपने सन्निकट कार्यक्षेत्र के प्रभारी अभियंताओं से सामन्जस्य/समन्वय नहीं रखने एवं कार्य में रूचि नहीं लेने संबंधी आरोप प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री गिरी को विभागीय अधिसूचना संख्या– 1379 दिनांक 18.09.14 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया –

(1) निन्दन वर्ष 2013–14

(2) कालमान वेतन के एक वेतन प्रक्रम के नीचे सदैव के लिए अवनति।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री गिरी अपने पत्रांक 454 दिनांक 20.10.14 द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई और पाया गया कि पुनर्विलोकन अर्जी में कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सम्यक समीक्षोपरान्त श्री गिरी के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए पूर्व संसूचित दण्ड यथा निन्दन वर्ष 2013–14 एवं कालमान वेतन के एक वेतन प्रक्रम के नीचे सदैव के लिए अवनति को यथावत रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

उक्त निर्णय श्री गिरी को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 638-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in